न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या – 36/2019
दायरा दिनांक – 13/08/2019
निर्णय दिनांक – 27-1-21

उनवान

1. महेश पुत्र हीरालाल जाति ब्राहमण निवासी हरसौरा तह0 बानसूर जिला अलवर राज0
2. कमलेश पुत्र हीरालाल जाति ब्राहमण निवासी हरसौरा तह0बानसूर जिला अलवर राज0

--प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू0 राजस्व अधि0

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. प्रार्थी – श्री सुरेश कुमार मीणा एड0, श्री रणवीर सिंह यादव एड0
2. अप्रार्थी – पैरोकार सरकार

–:निर्णय:–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश मेरे समक्ष पेश हुई। पत्रावली के सुक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगणों ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नं0 464 रकबा 0.0100 है0,खसरा नं0 465 रकबा 1.500 हैक्ट0,खसरा नं0 466 रकबा 0.4300 हैक्ट0, खसरा नं0 999 रकबा 0.5400 हैक्ट0 वाके मौजा हरसौरा तह0बानसूर जिला अलवर राज0 दौराने भू-प्रबन्ध सम्वत 2060 साबिक खसरा नं0 319 मिन रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा बिस्वा, 320 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 792 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा से दौराने बन्दोबस्त सम्वत 2060 बने है। प्रार्थीगणों के समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र , स्कूल प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थीगण का सही नाम महेश , कमलेश पिसरान हीरालाल ही दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों को पूर्व से चले आ रहे सही नाम का ही रिपिटिसेशन करना चाहिये था लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करते हुये प्रार्थीगण का नाम पिंटू ,कमलकान्त पिसरान हीरालाल दर्ज कर दिया जो गलत है। अतः हाल आराजी खसरा नं0 464 रकबा 0.0100 है0,खसरा नं0 465 रकबा 1.500 हैक्ट0,खसरा नं0 466 रकबा 0.4300 हैक्ट0, खसरा नं0 999 रकबा 0.5400 हैक्ट0 वाके मौजा हरसौरा तह0बानसूर जिला अलवर राज0 के कॉलम खातेदारी में प्रार्थीगणों का नाम पिंटू ,कमलकान्त पिसरान हीरालाल के स्थान पर सही नाम महेश , कमेलश पिसरान हीरालाल दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर अ[illegible] तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त आराजी के कॉलम खातेदारी में राजेश, पिन्टू कमलकान्त पिसरान ही[illegible] हिस्सा 1/2 कोम ब्रहमण साकिन देह के स्थान पर राजेश, महेश, कमलेश पिसरान हीरालाल हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.25 17:09:54 IST
Reason: SelfAttested

rajesh/court decision/2020/136/LR ACT/ महेश बनाम तहसीलदार-

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

1/2 कोम ब्रहमण साकिन देह करने के आदेश दिये जाते है तो हमें कोई एतराज नही है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपने शपथ पत्र पेश किये।

बहस सुनी गई। प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया। हाल आराजी खसरा नं0 464 रकबा 0.0100 है0,खसरा नं0 465 रकबा 1.500 हैक्ट0,खसरा नं0 466 रकबा 0.4300 हैक्ट0, खसरा नं0 999 रकबा 0.5400 हैक्ट0 वाके मौजा हरसौरा तह0बानसूर जिला अलवर राज0 दौराने भू-प्रबन्ध सम्वत 2060 साबिक खसरा नं0 319 रकबा मिन रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा बिस्वा, 320 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 792 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा से दौराने बन्दोबस्त सम्वत 2060 बने है। विवादित आराजीयात में राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में महेश , कमेलश पिसरान हीरालाल के स्थान पर पिंटू , कमलकान्त पिसरान हीरालाल दर्ज कर दिया जो काबिले दुरुस्ती है। प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र , स्कूल प्रमाण पत्र तथा वार्षिक रजिस्टर खाता सं0 128 में भी प्रार्थीगणों का सही नाम महेश , कमलेश पिसरान हीरालाल ही दर्ज है। उक्त विवेचानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-:आदेश:-

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 स्वीकार कर हाल आराजी खसरा नं0 464 रकबा 0.0100 है0,खसरा नं0 465 रकबा 1.500 हैक्ट0,खसरा नं0 466 रकबा 0.4300 हैक्ट0, खसरा नं0 999 रकबा 0.5400 हैक्ट0 वाके मौजा हरसौरा तह0बानसूर जिला अलवर राज0 में प्रार्थीगणों का नाम पिंटू ,कमलकान्त पिसरान हीरालाल कोम ब्रहमण साकिन देह के स्थान पर महेश , कमेलश पिसरान हीरालाल कोम ब्रहमण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तहसीलदार बानसूर को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । दाखिला दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर
उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

आज दिनांक--27/1/21--को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर
उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.25 17:09:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner